समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर कैम्प, भोपाल

R 7082-PB2/17 प्रकरण कमांक ....

जियन्दराम दावानी (जे.आर.दावानी)

आ. श्री वरन्दमल दावानी, व्यस्क,

निवासी 6, लक्ष्मी कम्पाउण्ड ईदगाह

हिल्स, भोपाल। ....आवेदक/याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1- श्रीमती प्रेमबाई पुत्री श्री भंवरजी

निवासी ग्राम मिसरोद द्वारा मुख्तियार

आम श्री दीपेश मोहता, आ. वल्लभदास

मोहता, निवासी 12, सुप्रीम सनसिटी

कालोनी, एयरपोर्ट रोड भोपाल ।

2- म.प्र.शासन । ....अनावेदकगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-56 भारतीय स्टाम्प अधिनियम याचिकाकर्ता माननीय अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, भोपाल-2 जवाहर चौक, 12 दफ्तर, शेड क. 4, भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 123/बी-103/2013-14 /धारा-33 में पारित आदेश दिनांक 06.07.2015 के विरुद्ध निम्नानुसार याचिका प्रस्तुत करता है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 7082–पीबीआर / 17 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–2–2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला भोपाल के आदेश दिनांक 6–7–2015 के विरुद्ध दिनांक 30–3–2017 को डेड़ वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । विलम्ब क्षमा हेतु प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब के सम्बन्ध में जो कारण बताये गये हैं, वह समाधान कारक नहीं है । इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण भी नहीं दर्शाया गया है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	